मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम

"पुस्तक भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
दूरभाष : 0755-2550727, 2551294, 2551565
ई-मेल : plm.mptbc@gmail.com, वेबसाइट : mptbc.mp.gov.in
क्रमांक/1109/पापुनि/मुद्रण/2021 भोपाल, दिनांक : 26.08.2021

अध्यास टेस्ट पेपर कक्षा-3, 5 एवं 8 के मुद्रण हेतु ई-निविदाओं के आमंत्रण (अल्पकालिक) की सूचना

(निविदा क्रमांक-PTG-11/2021-2022)

शिक्षा सत्र 2021-2022 के लिये कक्षा-3, 5 एवं 8 के लगभग 171 लाख अभ्यास टेस्ट पेपर के वैब ऑफसेट मशीनों पर मुद्रण हेतु ई-निविदा आमंत्रित है।
ई-टेण्डरिंग पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर दिनांक 27.08.2021 को 17.30 बजे से निविदा दस्तावेज डाउनलोड किये जा सकते हैं एवं दिनांक 02.09.2021 को 11.30 बजे तक ऑनलाइन तकनीकी एवं कमर्शियल बिड भरकर प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा के संबंध में जानकारी हेतु मोबाइल क्रमांक 9981907963, 9111811007 एवं हेल्प डेस्क दूरभाष क्र. 0120-4001002, 0120-6277787 पर संपर्क किया जा सकता है।
उक्त सभी विवरण एवं संशोधन/परिवर्तन/शुद्धिपत्र (यदि कोई होवें तो) पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर ही प्रकाशित होकर उपलब्ध होंगे।
म.प्र. माध्यम/101761/2021 **प्रबंध संचालक**

पशु आहार निर्माण शाला, रूद्रपुर

(किसान बांड्सास रोड, रूद्रपुर [उधम सिंह नगर] फोन नं: 05944-262552 ई-मेल: ganchkatcattlefeed@gmail.com
फर्मांक 1115-18/निविदा सूचना/2021-22 दिनांक: 26 अगस्त, 2021

(अल्पकालिक ई-प्रोक्योरमैन्ट नोटिस)

निविदा सूचना संख्या-10/कच्चा माल/पशुआहार निर्माणशाला/2021-22, दिनांक 26.08.2021

निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा के द्वारा दू बिड सिस्टम के अर्न्तगत मुहर बंद (अल्पकालिक) निविदायें पशु आहार निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं/ निर्माताओं/ फर्मों से दिनांक 03.09.2021 की सांय 05.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 04.09.2021 की प्रातः 11.00 बजे यूएसीओसीएफए कार्यालय मंगल पड़ाव हल्द्वानी में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कच्चा माल विवरण	कुल मात्रा (मैट्रीक टन)	धरोहर धनराशि (₹) में	निविदा शुल्क (जीएसटी0 सहित)	आपूर्ति शैड्यूल
01	सोया एक्स	15.00	75,000.00	₹ 590.00	निविदा प्रपत्र के अनुसार

निविदा की शर्तें तथा उपलब्धता एवं प्रस्तुतिकरण का तरीका–
निविदा प्रपत्रों का मूल्य उपरोक्त तालिका के अनुसार जीएसटी0 सहित, प्रति आइटम, निविदा प्रपत्र ऑनलाइन इन्टरनेट पर वेबसाइट **http://www.uktenders.gov.in** पर उपलब्ध है, तथा यही से डाउनलोड एवं अपलोड किये जा सकते हैं। ई-निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं। ई-निविदा वेबसाइट पर दिनांक **27.08.2021** की अपरान्ह **02.00** बजे से उपलब्ध रहेगी।

सामान्य प्रबन्धक
पशु आहार निर्माणशाला
रूद्रपुर (उधमसिंह नगर)

इण्डियन ओवरसीज बैंक

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन]

राजीव सर्कल शाखा, एम-5ए, मधुबी हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110 009, फोन नं. 011-23415421/23417768 ईमेल : iob1205@iob.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नयम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण और विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) को सूचित किया जाता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक को बंधक/प्रभारित अधोल्लिखित अचल संपत्तियां जिनका इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, नीचे वर्णित विवरण के अनुसार ''जो है जहां है'', ''जो है जैसी है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

क्र. सं.	कर्जदारों के नाम / जमानतीओं के नाम	इंडियन ओवरसीज बैंक को बकाया देय राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण / ज्ञात ऋणभार यदि कोई हो	कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / अग्रिम राशि जमा	नीलामी की तिथि / बोली जमा करने की अंतिम तिथि
1.	चित्रो पत्नी सुखबीर सुखबीर पुत्र बुद्ध राम ----	रु. 57,69,770.81/- (रुपये सत्तावन लाख उनहत्तर हजार सात सौ सत्तर और इक्यासी पैसे मात्र)	संपत्ति सं. आरजे/2121, प्रथम तल, बिना छत अधिकारों, भूमि मापक क्षेत्र 100 वर्ग गज खसरा सं. 213, ग्राम. नासिरपुर, पश्चिमी सागरपुर, नई दिल्ली–110046 का सर्वमीणा भाग। कोई नहीं	भौतिक	रु. 42,55 लाख / रु. 4.25 लाख	21.09.2021 / 20.09.2021

- जहाँ भी लागू हो, आरक्षित मूल्य में 1 प्रतिशत या आई.टी. अधिनियम की धारा 194(आई)(ए) के तहत कर शामिल है।
- बिक्री के नियमन व शर्तों के लिए कृपया इंडियन ओवरसीज बैंक की वेबसाइट अर्थात् **www.iob.in[https://www.iob.in/TenderDetails.aspx?Tendertype=E_Auction]** पर दिया लिंक या **https://ibapi.in देखें।**
- यह सूचना उक्त ऋण के उधारकर्ता(ओं) और जमानती(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम–8(6)/नियम 9(1) के तहत उपरोक्त दिनांक को ई–नीलामी आयोजन के संबंध में सूचना भी मानी जाए।
- ईएमडी जमा करने की शुरूआत दिनांक **30.08.2021** से होगी।

स्थान : नई दिल्ली दिनांक 25.08.2021 प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक

Ansal Housing Limited

ANSAL HOUSING ENRICHING LIVING STYLES
— An ISO 9001:2015 Company —
(Formerly known as Ansal Housing & Construction Ltd.)
पंजीकृत कार्यालय 606, 6वां तल, इंद्र प्रकाश, 21 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली–110001
प्रधान कार्यालय स्पेज–एएसीएल, दूसरा तल, अंसल प्लाजा, सेक्टर–1, गैज़ाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.–201010
ई–मेल : ahl@ansals.com वेबसाइट : www.ansals.com सीआईएन : L45201DL1983PLC016821

विडियो कान्फ्रेन्सिंग/अन्य ऑडियो विजुअल जरिए (ओएवीएम) माध्यम से आयोजित होने वाली 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक संबंधी जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्रमशः नं. 14/2020 (दिनांकित 8 अप्रैल, 2020), 17/2020 (दिनांकित 13 अप्रैल, 2020), 20/2020 (दिनांकित 5 मई, 2020) और 22/2020 (दिनांकित 15 जून, 2020) (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के लागू प्रावधानों और इसके अंतर्गत नियमों और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 (''सूचीबद्ध नियमावली'') और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 (''सेबी परिपत्र'') के अनुपालन में किसी सार्वजनिक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना ॲसल हाऊसिंग लिमिटेड (''कंपनी'') की 37वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवार, दिनांक 29 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11:30 बजे विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना में निहित व्यवसायों का निष्पादन किया जायेगा।
एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रोनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों को भेजी जायेंगी जिनके ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट(ओं) के पास पंजीकृत होंगे। कृपया नोट करें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.ansals.com** और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइटों क्रमशः **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध होगी।
इलेक्ट्रोनिक माध्यम (''ई–मतदान'') द्वारा सदस्यों को मतदान की सुविधा सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जायेगी और इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की जायेगी। रिमोट ई–मतदान अवधि 26 सितंबर, 2021 (पूर्वा. 09:00) शुरू होगी और 28 सितंबर, 2021 (अप. 05:00) बजे समाप्त हो जायेगी। इस अवधि के दौरान कट–ऑफ तिथि 22 सितंबर, 2021 को भौतिक रूप या अभौतिक रूप में शेयरों के धारक कंपनी के सदस्य रिमोट ई–मतदान या एजीएम के समय ई–मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकेंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी कर रहे सदस्यों की गिनती अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम गणना में की जायेगी।
सदस्य जो भौतिक रूप या अभौतिक रूप में शेयरों के धारक हैं और जिनके ई–मेल आईडी आरटीए/उनके संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टों के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैण्ड प्रति और कंपनी में पंजीकृत सदस्य के पता प्रमाण के समर्थन में कोई एक दस्तावेज अर्थात आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, यूटीलिटी बिल या अन्य किसी सरकारी दस्तावेज की स्व–सत्यापित स्कैण्ड प्रति के साथ अपना नाम, पूरा पता, फोलियो नंबर, कंपनी के साथ धारित शेयरों की संख्या उल्लिखित करते हुए विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैण्ड प्रति जल्दी से जल्दी **delhi@linkintime.co.in** पर ई–मेल भेजकर अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत करें।
2. डीमेट रूप में शेयरों के धारक सदस्य अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टों जहाँ डीमेट खाता चालू है, के पास अपने ई–मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं।

यह सूचना कंपनी के सभी सदस्यों के सूचनार्थ और हितार्थ तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के लागू परिपत्रों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

ह्रिले अंसल हाऊसिंग लिमिटेड
हस्ता./–
(सोम नाथ शोधर)
अपर सी.पी. और कंपनी सचिव
स.संख्या– F4055
दिनांक: 26.08.2021
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म–ए
सार्वजनिक घोषणा
(भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम, 2016 के विनियम 6 के अधीन)
माईस्टिक मॉक डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

प्रासंगिक विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	माईस्टिक मॉक डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के निगमन की तिथि	15.07.2006
3.	वह प्राधिकार जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी निगमित/पंजीकृत है	सीएसटूआर ऑफ कंपनीज – दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणी को सौंपित दायित्व पहचान संख्याकं	U18101DL2006PTC150981
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	जेड 45, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज– II, नई दिल्ली–110020, भारत
6.	कॉर्पोरेट ऋणी की बाबत दिवाला प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि	24.08.2021
7.	दिवाला समाधान प्रक्रिया के समाप्त होने की प्राक्कलित तारीख	20.02.2022
8.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक का नाम व पंजीकरण संख्या	सी.ए. पवन कुमार गर्ग IBBI/IPA-001/IP-P00608/2017-2018/11069
9.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक का, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत पता और ईमेल	25–ए, पॉकेट–जे, शेख सराय–2, नई दिल्ली–110017 ईमेल आईडी: ca.pawangarg@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक के साथ पत्र व्यवहार के लिए प्रयुक्त पता और ई–मेल	25–ए, पॉकेट–जे, शेख सराय–2, नई दिल्ली–110017 ईमेल: cirp.mysticmonk@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	07.09.2021
12.	अंतरिम समाधान व्यावसायिक द्वारा अभिनिश्चित धारा 21 की उपधारा (6क) की खंड (ख) के अधीन लेनदारों के वर्ग, यदि कोई है	शून्य
13.	किसी वर्ग में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अभिलक्षित दिवाला व्यावसायिक के नाम	लागू नहीं
14.	(क) सुरक्षित प्रारूप और (ख) प्राथमिकृत प्रतिनिधियों के ब्यौरे यहां उपलब्ध है	https://ibbi.gov.in/home/downloads लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण** द्वारा दिनांक 24.08.2021 को **माईस्टिक मॉक डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड** के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया है। आदेश की प्रति आईआरपी को ईमेल के माध्यम से 25.08.2021 को प्राप्त हुई थी।
माईस्टिक मॉक डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड लेनदार (क्रेडिटर्स) को **07.09.2021** तक उससे पहले अपने दावों का सबूत प्रमाण सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जो एंट्री नं. 10 में उल्लिखित पते पर अंतरिम समाधान पेशेवर को देना है।
वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा दावों का सबूत प्रमाण सहित जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से अपने–अपने दावों का सबूत प्रमाण सहित जमा कर सकते है।
दावों के संबंध में झूठे या भ्रामक सबूत प्रस्तुत करने पर जुर्माना देय होगा।

सी.ए. पवन कुमार गर्ग
अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स
IBBI/IPA-001/IP-P00608/2017-2018/11069
दिनांक: 27.08.2021
स्थान: नई दिल्ली

होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

homefirst We'll take you home
सीआईएन: U65990MH2010PTC240703,
वेबसाइट: homefirstindia.com
फोन नं.: 180030008426 **ई–मेल आईडी:** loanfirst@homefirstindia.com

मांग सूचना धारा 13(2) के तहत

आप अधोल्लिखित कर्जदार ने नीचे वर्णित अनुसूचित संपत्ति के बंधन द्वारा ऋण प्राप्त किया है और आप अधोल्लिखित ऋण करार के लिए कर्जदार/ सह–कर्जदार जमानती बने हैं। आपके द्वारा की गई चूक के फलस्वरूप आपका ऋण खाता वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षिप्त में सरफासी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत **08.08.2021** को अनर्जक आस्ति वर्गीकृत किया गया है। इस हेतु होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड ने आपको धारा 13(3) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी। उक्त सूचनाएँ **28.08.2021** को जारी की गई हैं और ये सूचनाएँ दर्शाती हैं कि आपने आपको संस्वीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक है। इसलिए, यह प्रकाशन सरफासी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार आपको सूचना देने के लिए किया गया है:

क्र. सं.	स्थान	खाते, कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) के नाम व पते	प्रवर्तन की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	मांग सूचना की तारीख की शुल्क बकाया और आगे की ब्याज एवं अन्य व्यय (रु. में)
1.	भिवाड़ी	गजराज सिंह	यूनिट नं.–डी–403, टॉवर डी, फ्लोर–4, अनंतराज आश्रय, प्लॉट 235, 236, 237, जापानीज जोन, एनआईडीसी (एम), नीमराना, अलवर–301705	रु. 3,94,923/-
2.	गाजियाबाद	काजली पत्नी सूर्यकांत सारस्वत, सूर्यकांत सारस्वत, श्याम चरण	फ्लैट नं. 303, फ्लॉट नं. 11 व 12, खसरा नं. 96 में से, यूनीवन रेजीडेंसी दूसरा तल, गाँव अकबरपुर बहरामपुर की राजस्व संपदा में, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009	रु. 15,63,073/-
3.	गाजियाबाद	कृष्णा देवी, अमरेश कुमार	एसएफ–3, प्लॉट नं. 1, खसरा नं. 1165 अंकुर विहार, प्लॉट नं. 1, केशव कॉम्पलैक्स डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102	रु. 10,42,734/-
4.	गाजियाबाद	अरुणा, करन शर्मा, राजीव कुमार शर्मा	फ्लैट नं. 274, ब्लॉक जी–1, खसरा नं. 76 / 11, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059	रु. 9,20,025/-
5.	गाजियाबाद	जैनब शमशाद, शमशाद	फ्लैट–यूजीएफ–3, मयंक होम्स–2, आदित्य रेजीडेंसी, प्लॉट नं. 18, खसरा नं. 266 में से, गाँव बिशनुली परगना तहसील दादरी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001	रु. 12,13,634/-
6.	गाजियाबाद	दीपिका अमर सिंह, राम किशन	फ्लैट नं. यूजीएफ–03, खसरा नं. 353, पुष्प विहार, प्लॉट नं. 36, गाँव सादुल्लाबाद, परगना और तहसील–लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–110017	रु. 8,59,141/-
7.	गाजियाबाद	अजीत कुमार सिंह, प्रीति माला	फ्लैट नं. एच., तीसरा तल, प्लॉट नं. 10, 11, 12 और 13, खसरा नं. 59, यूनीवन रेजीडेंसी, फेज 2, गाँव अकबरपुर, बहरामपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201009	रु. 12,21,796/-
8.	गाजियाबाद	संदीप कुमार, सोनी कुमारी मालाकर	फ्लैट एफएफ–03, प्लॉट नं. 1, खसरा नं. 1165, अंकुर विहार, प्लॉट नं. 1, खसरा नं. 1165, केशव कॉम्पलैक्स डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102	रु. 10,04,186/-
9.	गाजियाबाद	राजीव कुमार, अनीता राना	फ्लैट–यूजीएफ–1, अपर ग्राउंड फ्लोर बालाजी एन्कलेव, प्लॉट नं. एफ–78, खसरा नं. 1466 एवं एफ–78–ए, 1468 गाँव, बालाजी एन्कलेव, गाँव रईसपुर, डासना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201011	रु. 20,39,536/-
10.	जयपुर	अशोक कुमार मीना	फ्लैट नं. एस/एफएफ/3, शिव शक्ति पीपीपी, शिव शक्ति रियल होम्स, ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड, जयपुर–302026	रु. 2,76,710/-
11.	जयपुर	शाहबुददीन शाह, आशिफ शाह	फ्लॉट नं. बी–91, स्कीम विजय नगर ए में, गाँव बगराना, आगरा रोड, जयपुर, राजस्थान–302012	रु. 5,56,471/-
12.	जयपुर	गीता देवी पत्नी बिहारी लाल, बिहारी लाल	फ्लॉट नं. 27, श्री राम विहार दूसरी स्कीम, सांभरिया रोड, कनोटा, जयपुर राजस्थान–303012	रु. 4,55,714/-
13.	जयपुर	भरत सैन, फूली देवी, मनोज सैन, संसार सैन	मकान नं. 43–ए, स्कीम सोहन नगर एक्सटेंशन, गोनेर रोड, लूनियावास, आगरा रोड, जयपुर राजस्थान–302031	रु. 12,86,336/-
14.	जयपुर	अनिल कुमार, विजय कुमार, मिथलेश धर्मेन्द्र	फ्लॉट नं. 4 पर मकान, जनकपुरी एक्सटेंशन, सुमेल रोड, दिल्ली आगरा बाईपास रोड, जयपुर राजस्थान–302031	रु. 12,84,307/-
15.	जयपुर	नवल किशोर राठौर, गायत्री बाई राठौर	फ्लैट नं. सी–101, प्रथम तल, ब्लॉक–सी, चितवन रेजीडेंसी, खसरा नं. 254, 393, 394, गाँव–सालिगरामपुर, तहसील–सांगानेर, जयपुर, राजस्थान–302025	रु. 4,50,624/-
16.	जयपुर	राजू चुन्नी लाल, माया देवी	फ्लॉट नं. 05, ''आर.एस. कालोनी (राम सागर)'' में, स्थित खुमरिया बास रोड, फतेहपुरा गाँव, वाटिका, जयपुर, राजस्थान–303905	रु. 5,89,639/-

आपको उपरोक्त राशि को ब्याज व लागत सहित इस सूचना प्रकाशन से 60 दिनों की अवधि के अंदर होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड को भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा कर्जदारों, बंधककर्ताओं और जमानतियों की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के कब्जा लेने सहित एक या सभी प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड आवश्यक कार्रवाई करेगा। उक्त अधिनियम के तहत होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के पास (1) प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए पढ़े, एसाइमेंट या बिक्री द्वारा हस्तांतरण के अधिकार सहित कर्जदारों/जमानतियों की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने की शक्ति (2) प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए पढ़े, एसाइमेंट या बिक्री द्वारा हस्तांतरण के अधिकारों सहित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का प्रबंधन लेने की शक्ति है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के रूप में हस्तांतरण पर वह सभी अधिकार व संबंध निहित होंगे जो आपके द्वारा हस्तांतरण करने पर हस्तांतरित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों पर निहित होते।
उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके (आपके व्यवसाय के सामान्य क्रम से इतर) से पहरों ऊपर उल्लिखित और होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड को रेहन/बंधक किसी प्रत्याभूत परिसंपत्ति को बिना होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड की सहमति के हस्तांतरित करने से निषिद्ध होंगे।

स्थान: एनसीआर और राजस्थान
दिनांक: 27.08.2021
हस्ताक्षरित: प्राधिकृत अधिकारी,
होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड

KEI
पंजीकृत कार्यालय : डी–90, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–1 नई दिल्ली–110020.
CIN : L74899DL1992PLC051527 फोन: +91-11-26818840, 26818642, 26815558, 26815559.
फैक्स: +91–11–26811959, 26817225, ईमेल : cs@kei-ind.com वेबसाइट : www.kei-ind.com

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग)/ओएवीएम (अन्य ऑडियो विजुअल साधन) के माध्यम से आयोजित 29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया गया है कि केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 29वीं ''वार्षिक आम बैठक'' (''एजीएम'') बुधवार 8 सितंबर, 2021 को अपर्राह्न 02.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजुअल के माध्यम से (''ओएवीएम'') को आयोजित किया जाना है, जनरल परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांकित जनवरी 13, 2021 के अनुपालन में साथ पठित जनरल परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 और जनरल परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 और अन्य सभी लागू कानूनों और परिपत्र में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए, एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय का लेन–देन करने के लिए कंपनी पंजीकृत कार्यालय यानी डी–90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020 को एजीएम के उद्देश्य से स्थल माना जाएगा।
उपरोक्त परिपत्र के अनुपालन में, वार्षिक आम बैठक की सूचना, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण और दूरस्थ ई–मतदान विवरण इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सभी सदस्यों को भेजे गए हैं जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी/आरटीएआई डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत/उपलब्ध हैं। शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से सूचना के पूरा होने की दिनांक 16 अगस्त 2021 है।
यदि आपने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्त–वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें और ई–मतदान के विवरण के लिए लॉगिन करें।

भौतिक धारक	कृपया कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) और रजिस्ट्रार, एमएस सर्विस लिमिटेड को **info@masserv.com** पर पन्ना संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी (फेट एड बैक), पैन (पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी) प्रदान करने के अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर करने के लिए अनुरोध भेजें। कृपया आपकी बैंक विवरण वास्तविक कैंसल बैंक हमारे आरटीए (यानी मास सर्विस लिमिटेड, टी–34, दूसरा तल, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–2, नई दिल्ली 100020 कोष्ठांर्णित पन्ना संख्या वर्णित पत्र के साथ भेजें। यदि पहले से पंजीकृत नहीं है तो। कृपया इसे दिनांक 01/09/2021 या उससे पहले अपडेट करें।
डीमेट धारक	कृपया अपने निक्षेपणार भागीदार (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार, अपने डीमेट खाते में अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। कृपया अपना बैंक का विवरण भी अपडेट करें अपने डीपी के साथ एनएसडीएल से डिविडेंड भुगतान के लिए। अगर कंपनी द्वारा घोषित होता है तो कृपया इसे दिनांक 01/09/2021 या उससे पहले अपडेट करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियमों, 2014 के स.प. पठित सेबी (सूचीबरुण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों, 2015 के संशोधित और विनियमन 44 के रूप में, कंपनी ने अपने पोर्टल के माध्यम से ने शनल सॉर्ट सेस प्रा/जिट सी (एनएसडीएल) द्वारा पोर्ट ल **www.evoting@nsciteoin** से सभी व्यवसाय के लेनदेन के लिए ई–वोटिंग सुविधा की पेशकश की है ताकि सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें दूरस्थ ई–मतदान की अवधि रविवार, 5 सितम्बर, 2021 (09:00 बजे) से शुरू होनी है और मंगलवार, 7 सितम्बर 2021 (05:00 बजे) को समाप्त होनी है''। उक्त दिनांक और समय से अधिक ई–मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई–मतदान प्रणाली को अक्षम किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ डेट यानी 01 सितंबर, 2021 के रूप में शेयर धारण करता है; **info@masserv.com** में **www.evoting@nsdl.co.in** या आरटीए, एमएस सर्विसेज लिमिटेड में अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर सदस्य पहले से ही दूरस्थ ई–मतदान के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार जब सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–मतदान के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई–मतदान करके वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। एसके बत्रा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (मेंबरशिप सं. एफसीएस 7714 और सीपी नंबर 8072) को ई–वोटिंग प्रक्रिया के लिए छानबीनकर्ता नियुक्त किया गया है। दूरस्थ ई–मतदान के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ भेजे गए पत्र में निहित है। ई–मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत का समाधान केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डी–90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020, फोन : 011–26818840, फैक्स : 011 26811959, ईमेल : **cs@kei-ind.com** पर कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी श्री किशोर कुणाल को किया जा सकता है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमों, 2014 और विनियमन 42 के नियम 10 और सेबी (सचिवरुण दायित्व एवं प्रक